(1)

न्यायालय यशवन्त भाकर, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) विविध रेस्टोरेशन प्रा0पत्र संख्या : 6/2018

करणीसिहं पुत्र कल्याणसिहं जाति राजपूत निवासी जैतूणो की ढाणी तहसील कोलायत जिला बीकानेर ।

बनाम

1 चैनकंवर बेवा कल्याण सिहं जाति राजपूत निवासी जैतूणो की ढाणी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2 जैतसिहं
3 भैरूसिहं
4 खेतसिहं
5 मूलीकवंर
6 उच्छबकंवर
7 पुष्पा कवंर
8 लूणकवंर
9 स्टेट आप राजस्थान

(2 से 4) पिसरान कल्याण सिहं जाति राजपूत निवासी जैतूणो की ढाणी तहसील कोलायत जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति अभिभाषक :-

1. श्री उमेश ऋषि प्रार्थी।
2. श्री रामचन्द्रसिहं अप्रार्थी
3. (अप्राथी सं0 2से 4)
4. पेरोकार राज राज्य की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक :- 20—11—2018

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मे यह कथन किया है । अपील स0 19/16 को दिनांक 4..10.17 को उनके अधिवक्ता की अदम हाजरी मे खारिज कर दी गई । जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही दी गई । इस सम्बन्ध मे जब हम अपने मुकदमे की आगे प्रोग्रेस क्या हुई जानने के लिये अपने अभिभाषक के पास पहुंचे तो पता चला कि अदम हाजरी मे मुकदमा खारिज कर दिया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 27.8.18 को हुई । वकील साहब ने कहा कि मैने तो चिठी लिखी ,फोन किया पर कोई आया नही आया । इसलिये रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र नही लगा सका चूंकि फैसले की जानकारी दिनांक 27.8.18 को हुई तो नकल लेकर बिना कोई समय खोये दिनांक 30.8.18 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पेश कर दिया । शपथ पत्र मे अकिंत किया कि वकील साहब की जानकारी उसे नही मिली । अतः निरस्तीकरण आदेश दिनांक 4.10.17 को निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

उभय पक्ष बहस दिनांक 12.11.18 को सुनी गयी । वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र मे वर्णित तथ्यो को दौरान बहस दौहराया । माननीय उच्च न्यायालय के एस0बी0 सिविल रिट्स पीटिशन स0 2571 /2011 निर्णय दिनांक 29.6.11 हाराराम व अन्य बनाम खिराजराम व अन्य आर0आर0डी0 पृष्ट766 की नजीर पेश की ।

वकील अप्रार्थी स0 2,3,4 ने जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जिसकी प्रति अभिभाषक अप्रार्थी को दिलवायी गई । वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अपील दिनांक 4.10.17 को अदम हाजरी/अदम पैरवी निरस्त फरमायी गई है। अपील खारिज होने के लगभग 10 माह बाद

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं जो स्पष्टतया: मियाद बाहर है। इसी स्टेज पर खारिज योग्य है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित पैरा न0 3 मे कथन किया है कि दिनांक 27.8.18 को अपने अधिवक्ता से मिला वकील साहब ने कहा कि मैने तो प्रार्थी को चिठी लिखी फोन किया कोई नही आया जिससे साबित होता है कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को समय पर हर प्रकार से सूचना दे दी थी । बावजूद समयावधि मे न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नही हुआ । जिससे मात्र कहने से कि वकील साहब की गल्ती के कारण काश्तकार को नुकसान नही होना चाहीए के आधार पर अपील रेस्टोर नही की जा सकती । अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना दे दी थी । अब वकील साहब को गलत ठहराकर प्रार्थी अनुचित कथन कर रहे है । जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है तथा जबाब धारा 5 मियाद के बिन्दु पर काउन्टर शपथ पर पेश किया तथा प्रार्थी को जानकारी होने पर भी न्यायालय मे पेश नही हुआ । जबकि वकील प्रार्थी द्वारा सूचना दी जा चुकी थी । अब वकील को गलत ठहराकर प्रार्थी अनुचित कथन कर रहे है। जबकि प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन अपने अधिवक्ता शपथ पत्र पेश नही किया है । जिसके अभाव मे मियाद क्षमा योग्य नही है । इसके लिये वकील अप्रार्थी ने एस0बी0 सिविल सैकेण्ड अपील स0 94/2014 पुरूस्तोमलाल बनाम प्रदीप कुमार निर्णित 24.9.14 माननीय उच्च न्यायालय पृष्ट 14 तथा पृष्ट 344 रामस्वरूप शर्मा बनाम जज लेबर कोर्ट न0 2 जयपुर व अन्य पेश की । बहस पर मनन करने तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरो को ध्यान मे रखते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे है उक्त निरस्तीकरण अपील मे अपीलान्ट के अभिभाषक उपस्थित नही आये जिस कारण से अपील अदम पैरवी अदम उपस्थिति के कारण खारिज की गई थी। जिसकी गल्ती का दोष प्रार्थी/अपीलान्ट को नही दिया जा सकता अतः न्यायहित मे प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्दर मियाद स्वीकार कर निरस्तीकरण आदेश अपील स0 19/2016 दिनांक 4.10.17 निरस्त किया जाकर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रा0पत्र मूल अपील के साथ सलंग्न होकर निरस्तीकरण आदेश दिनांक की स्थिति पर अपील पत्रावली पुनः वाजिबे नम्बर पर पेशी मे ली जावे। पत्रावली निर्णय मे शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 20–11–2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(यशवन्त भाकर)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर